भारत सरकार

(जनजातीय कार्य मंत्रालय)

लोक सभा

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †222

उत्तर देने की तारीख 24.06.2019

वन गांव

†222. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपाकरेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में विशेषकर वन गांवों और इनके निवासियों के लिए कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी राशि आबंटित, स्वीकृत, जारी की गई है और कितनी राशि राज्य-वार इस प्रयोजन हेतु संबंधित विभाग द्वारा उपयोग की गई है; और

(ग) क्या सरकार का वन गांवों का उन्नयन राजस्व गांवों में करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य मंत्री

(श्री अर्जुन मुंडा)

(क) तथा (ख) : जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन गांवों के निवासियों के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) को बढ़ाने तथा 2,474 वन गांवों / अधिवासों , जिन्हे देश के 12 राज्यों में फैले कार्यक्रमों के तहत शामिल किया गया था , में बुनियादी सुविधाएं तथा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वन गांवों के समेकित विकास के लिए एक बारगी उपाय के रुप में वर्ष 2005-06 से वन गांवों के विकास हेतु एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया था | इस कार्यक्रम में सम्पर्क सड़कें , स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक शिक्षा, लघु-सिंचाई, वर्षा-जल संग्रहण, पेयजल, स्वच्छता, सामुदायिक हॉल आदि तथा आय सृजन से संबंधित गतिविधियों जैसी बुनियादी सेवाओं तथा सुविधाओं के संबंध में आधारिक संरचना कार्य शामिल थे | इस कार्यक्रम को 'जनजातीय उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता' के विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम के एक भाग के रुप में कार्यान्वित किया गया था और केवल वर्ष 2006-07 से 2011-12 तक निधियां निर्मुक्त की गई थीं | वर्ष 2012-13 के दौरान तथा इससे आगे कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई है |

(ग) : अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ज) के अनुपालन में इस मंत्रालय द्वारा सभी वन गांवों, पुराने अधिवासों, वनों में असर्वेक्षित गांवों , चाहे उन्हें दिनांक 08.11.2013 के पत्र संख्या 23011/33/2010-एफआरए के माध्यम से राजस्व गांवों के रुप में अभिलेखित , अधिसूचित किया गया हो या नहीं, को परिवर्तित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है | राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर राजस्व गांवों के रुप में वन गांवों के परिवर्तन की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**वन गांव से राजस्व गांव**

1.	मध्य प्रदेश	925 वन गांवों को राजस्व गांवों के रुप में परिवर्तित किया जाएगा	
2	महाराष्ट्र	सभी वन गांव राजस्व गांवों में परिवर्तन की प्रक्रिया अधीन है	
3	छत्तीसगढ़	421 वन गांव राजस्व गांवों में परिवर्तित किए गए हैं।
4	पश्चिम बंगाल	86 वन गांव राजस्व गांवों में परिवर्तित किए गए हैं।
5	ओडिशा	अभिलिखित 22 वन गांवों तथा असर्वेक्षित अधिवासों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने के लिए चिह्नित किया गया है	
6	गुजरात	राजस्व गांवोंमें परिवर्तन के लिए 175 को चिह्नित किया गया है	
7	उत्तर प्रदेश	6 को राजस्व गांवों में परिवर्तित कर दिया गया है।

******